



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19042023-245254
CG-MH-E-19042023-245254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945

No. 1702]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1782(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के खरगोन जिले में रतलाम - इंदौर डा. अम्बेडकर नगर खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना (298.60 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) व सक्षम अधिकारी बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों

की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में रतलाम - इंदौर डा. अम्बेडकर नगर खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना (298.60 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम :- खरगोन

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित
					स्क्वेयर मीटर में	हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	बड़वाह	उमरिया	18	348	5000	0.500	असिंचित
योग				01	5000	0.500	--

[फा. सं. : ई. ऑफिस (E 322849-4)]

धीरज कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण, इंदौर

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th April, 2023

S.O. 1782(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Ratlam Indore Dr. Ambedkar Nagar Khandwa (298.60 Km) Project in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer (Revenue) & Competent Authority Barwaha, District- Khargone (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Ratlam Indore Dr. Ambedkar Nagar Khandwa (298.60 Km) Project in the state of Madhya Pradesh.

Name of District: Khargone.

S. No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Acquired Land Area		Type of Land Irrigated / Unirrigated
					In Sqm.	In Hect.	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Barwaha	Umaria	18	348	5000	0.500	unirrigated
TOTAL			--	01	5000	0.500	

[F. No. : E.- Office (E 322849-4)]

DHEERAJ KUMAR, Chief Project Manager, Construction, Indore